न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

राजस्व विविध वाद सं0– 04/2021–22

विशेषर सिंह बनाम् अशोक सिंह

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
13/10/23	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विशेषर सिंह पिता– स्व0 कईल सिंह ग्राम– तुरीमुण्डा, थाना– चिनियॉ जिला– गढ़वा द्वारा पूर्व में रल रहे ऑफलाईन मांग का नया खाता प्लॉट दर्ज करते हुए मांग दर्ज कर रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि विशेषर सिंह पिता– स्व0 कईल सिंह जब जिवित थे तब अंचल अधिकारी, उप समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा ग्राम तुरीमुण्डा के पुराना खाता सं0– 01 पुराना प्लॉट सं0– 41/4 में रकबा– 0.36 ए0 चौहदी उ0– सोना सिंह, द0– रामवृक्ष सिंह, पु0– विश्वनाथ सिंह, प0– बेचन सिंह प्राप्त है। अपीलार्थी इस भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। पर्चा प्राप्ति के पश्चात अपीलार्थी के नामें मांग स्थापित हुआ एवं मांग पंजी के पृष्ठ सं0– 134/1 पर मांग कायम हुआ है। हाल सर्वे स्व0 बेचन सिंह के नामें यह भूमि खतिानी दर्ज हो गई है। परन्तु जीवन पर्यत उनका इस भूमि पर न तो कभी दखल कब्जा रहा ना ही उनके पुत्र को आज भी दखल कब्जा है न ही ऐतराज है कि यह भूमि उनके नाम पर चढ़ गई तो उनकी है वे खुद स्वीकार करते है कि यह अपीलार्थी की भूमि है इससे उन्हे कोई सारोकार नहीं है। अपीलार्थी के नामें मांग पंजी के पृष्ठ सं0– 134/1 पर पुराना खाता सं0– 1 पुराना प्लॉट सं0– 41/1 रकबा– 0.36 ए0 का मांग चलते आ रहा है। अपीलार्थी मालगुजारी अदा कर रसीद भी प्राप्त करते आ रहे है। इस भूमि का रेयत बेचन सिंह दर्ज हो गया है। जिसकी मृत्यु हो गई है। नया खाता सं0– 40 नया प्लॉट सं0– 113 बेचन सिंह के नामें दर्ज हो गया है। परन्तु इनके पुत्र का कोई दावा नहीं है। यह जमीन विषेशर सिंह का है यह गलत से इनके स्व0 पिता के नामें चढ़ गया है। इससे इनकों कोई मतलब नहीं है। ग्राम तुरीमुण्डा में ही पुराना खाता सं0– 40 पुराना प्लॉट सं0– 78 में रकबा 0.40 ए0 भूमि का मांग कईल सिंह पिता स्व0 रामजीत सिंह के नामें चलती है। जो यह भूमि इन्हे पूर्व से प्राप्त थी इसका मांग पंजी के पृष्ठ सं0– 45/1 पर चलता है। यह भूमि अपीलार्थी विषेशर सिंह को हिस्सा में प्राप्त है। हाल सर्वे में यह भूमि खाता सं0– 79 प्लॉअ सं0– 973 के अन्तर्गत 0.43 ए0 दर्ज है परन्तु रकबा– 0.40 ए0 ही अपीलार्थी के पिता को प्राप्त है एवं पूर्व से पुराना खाता एवं प्लॉट सं0 से ऑफलाईन मांग दर्ज होकर रसीद निर्गत होते आ रहा है। अपीलार्थी के नामें इनके पिता	

के नामें पूर्व में दर्ज मांग 0.36 ए0 का ऑनलाइन मांग नये खाता प्लॉट के करने का आदेश दिया जाना न्यायहीत में है।

प्रत्यार्थी का कथन है कि विषेशवर सिंह के पिता स्व0 कईल सिंह को ग्राम तुरीमुण्डा के पुराना खाता सं0– 1 पुराना प्लॉट सं0– 41/1 में रकबा– 0.36 ए0 चौहदी उ0– सोना सिंह, द0– रामवृक्ष सिंह, पु0– विश्वनाथ सिंह, प0– बेचन सिंह, भूमि बंदोबस्ती वाद सं0– 18/1995–1996 द्वारा सरकार द्वारा लाल पर्चा से प्राप्त हुआ है। जिस पर उनके पिता जीवन काल से आज तक दखल कब्जा में चले आ रहे है तथा अंचल द्वारा ऑफलाईन मांग भी मांग पंजी के पृष्ठ सं0– 134/1 पर अपीलार्थी पक्ष के पिता के नामें उर्ज होकर ऑफलाईन रसीद कटते आ रहा है। वर्तमान में भी यह अपीलार्थी विषेशर सिंह का दखल कब्जा में है। हाल सर्वे में यह भूमि मेरे स्व0 पिता बेचन सिंह के नामें खाता सं0– 40 के अन्तर्गत दर्ज हो गया है। जिसका प्लॉट सं0– 113 है इस प्लॉट में मेरे पिता स्व0 बेचन सिंह के नामें रकबा– 2.03 ए0 भूमि दर्ज हुआ है। यह स्पष्ट है कि इनमें से रकबा– 0.36 ए0 अपीलार्थी विषेशर सिंह का जमीन है। मेरे न तो दखल कब्जा में नहीं है। इससे हमको कोई सारोकार नहीं है। यह वाद अपीलार्थी द्वारा अपने पिता स्व0 कईल सिंह के नामें चल रहे ऑफलाइन मांग को नये खाता प्लॉट के अनुसार ऑनलाईन करने वास्ते यह वाद दायर किया गया है। वर्तमान सर्वे में यह भूमि मेरे पिता स्व0 बेचन सिंह के नामें उठ गया है स्व0 कईल सिंह के पुत्र अपीलार्थी विषेशर सिंह के नामें इस 0.36 ए0 भूमि का नए खाता प्लॉट के अनुसार करने में मुझे कोई आपति नहीं है।

दोनों पक्षों के लिखित ब्यान एवं दलील से स्पष्ट है कि यह मामला खतियान में संशोधन का है। जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

13.10.23

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।

Digitally signed by Parmesh Kushwaha
Date: 2025.11.05 11:48:32 +05:30
Location: 10.93.21.247